!!श्री!!

रिविजन क्र.   /2018

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर इन्दौर कैम्प

निगरानी- 3541/2018/इंदौर/भू.रा.

कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर
श्री एस. के. चौरसिया ....
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 26.4.18
को प्रस्तुत।
No. 448

अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

1. श्रीमती रामप्यारीबाई पति श्री रामचरण
   उम्र– 75 वर्ष, धंधा– गृहकार्य
   निवासी– 252/3, पाटनीपुरा,
   इन्दौर (म.प्र.)

2. श्रीमती सुशीलाबाई पति रामगोपाल धीमान
   उम्र– 70 वर्ष, धंधा– गृहकार्य
   निवासी– 272–री, रमेश गवडा मोहम्मद सेठ की दुकान के पास, सावित्री फुले, बसाहट बडाला गांव, नासिक महाराष्ट्र

3. अयोध्याप्रसाद पिता स्व. श्री बुधई धीमान
   उम्र– 60 वर्ष, धंधा– नौकरी
   निवासी– 442/5 श्यामाप्रसाद मुखर्जी नगर, बाणगंगा इन्दौर (म.प्र.)

-----रिविजनकर्ता

विरूद्ध

1. जानकीप्रसाद पिता स्व. श्री बुधई धीमान
   उम्र– वर्ष, धंधा–
   निवासी– ग्राम चोरल तहसील महू

2. शिवप्रसाद पिता स्व. श्री बुधई धीमान
   उम्र– वर्ष, धंधा–
   निवासी– 387/5, श्यामाप्रसाद मुखर्जी नगर, इन्दौर

-----रेस्पाडेन्स

रिविजन/अपील धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत

सदर रिविजन /अपील निम्नानुसार सादर प्रस्तुत करता है कि :–

अविरत-------2

1.) <u>आदेश का विवरण जिसके विरूद्ध सदर अपील/प्रस्तुत की गई है</u> :—

<u>आलोच्य आदेश जिसके विरुद्व सदर/अपील प्रस्तुत की है उसका विवरण</u>

अ)	आदेश दिनांक	::	**14/03/2018**
ब)	प्रकरण क्रमांक	::	मामला क्रमांक 16/ब—121/2017—18
स)	किसके द्वारा पारित किया गया	::	**नायब तहसीलदार, श्री मनीष श्रीवास्तव, तहसील डॉ. अम्बेडकर नगर महू इन्दौर म.प्र. टप्पा सिमरोल**
द)	विषयवस्तु	::	**यह कि, विचारण तहसील न्यायालय द्वारा विचाराधीन प्र.क्र.16/ब—121/2017—18 में प्रतिप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. का निरस्त करते हुये आदेश पारित किया। उक्त आदेश से व्यथित होकर सदर सिविल रिविजन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है।**

2. **<u>अपील के संक्षिप्त तथ्य</u>** :—

(2.1) यह कि, सदर अपील दिनांक 14.03.2018 विचारण तहसील न्यायालय के द्वारा पारित आदेश से व्यथित होकर उक्त अपील माननीय न्यायालय के समक्ष सादर प्रस्तुत है। आलोच्य आदेश **<u>प्रदर्श पी— 1</u>** है।

(2.2) यह कि, प्रत्यर्थी क्र. 1 के द्वारा विचारण तहसील न्यायालय में आवेदन पत्र राजस्व मण्डल के प्रकरण क्र.799/pbr/2012 आदेश दिनांक 21.12.2012 में अमल करने बाबद् प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पत्र **<u>प्रदर्श पी— 2</u>** है।

(2.3) यह कि, प्रत्यर्थी क्र. 1 के द्वारा प्रस्तुत आवेदन के जवाब प्रस्तुत करने के पूर्व तहसील न्यायालय के समक्ष

अविरत———3

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी/3541/2018/इंदौर/भूरा

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26-6-18	आवेदक की ओर से श्री एस0के0चौरसिया अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ नायब तहसीलदार महू जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14-3-18 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार द्वारा वरिष्ठ न्यायालयों के आदेश के पालन में विधिवत् प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है, जिसमें प्रथमदृष्टया कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है । अत: यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। अध्यक्ष	